मानव संसाधन विकास मंत्रालय

[शिक्षा विभाग (तकनीकी शिक्षा ब्यूरो)]

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

नई दिल्ली, 21 जून, 1991

सा. का. नि. 414.—इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में अखिल भारतीय स्नातकोत्तर अध्ययन तथा अनुसंधान की स्थापना के सम्बन्ध में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की दिनांक 3 जनवरी, 1991 की समसंख्यक अधिसूचना के उप-पैरा-II (iii) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिये :—

"(iii) विधिवत विनियमन

—वित्त पोषण के लिए प्राथमिकता प्राप्त श्रेणी का पता लगाना।

—स्नातकोत्तर तथा डाक्टरल का समग्र अनुश्रवण और मूल्यांकन करना।

—स्नातकोत्तर स्तर पर मानदंड और मानक लागू करना।"

[संख्या एफ 2-4/89-अ.भा.तक. शि. परि.]

MINISTRY OF HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT

[Department of Education (Technical Education, Bureau)]

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

New Delhi, the 21st June, 1991

G.S.R. 414.—Sub-para II (ii) of the AICTE Notification of even number dated 3rd Jan, 91 regarding estabilshment of All India Board of Post-graduate Studies and Research in Engineering & Technology, may be substituted as follows :

"(ii) Regulatory.

— identification of priority areas for funding.

— overall monitoring and evaluation of PG and Doctoral programmes.

— enforce norms and standards at post-graduate level."

[F. 2-4/89-AICTE]

सा. का. नि. 415.—अखिल भारतीय प्रबन्ध बोर्ड की स्थापना के सम्बन्ध में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की दिनांक 3 जनवरी, 1991 की सम-संख्यक अधिसूचना के उप-पैरा-II (iii) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए :—

"(iii) विधिवत विनियमन :—

—वित्त पोषण के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों का पता लगाना।

—प्रबंध संस्थाओं में मानदण्डों और मानकों की यन्त्रावली का विकास करना।

—प्रबन्ध कार्यक्रमों और संस्थाओं का अनुश्रवण और मूल्यांकन करना।

[सं. एफ 2-5/89-अ.भा. तक. शि. परि.]

आई. बी. संगल, संयुक्त शिक्षा सलाहकार (तक.)

शिक्षा विभाग

तथा

अपर सचिव, अ. भा. त. शि. परि.

G.S.R. 415.—Sub-para II (iii) of te AICTE Notification of even number dated 3rd Jan. 91 regarding establishment of the All India Board of Management Studies, may be substituted as follows :

"(iii) Regulatory.

— identification of priority areas for funding.

— development of mechanism to enforce norms and standards in Management Institutions.

— monitoring and evaluation of management programmes and institutions."

[No. F. 2-5/89-AICTE]

I. B. SANGAL, Jt. Education Adviser (T)

Department of Education

&

Additional Secretary, AICTE

(शिक्षा विभाग)

इन्दिरा गांधी, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

नई दिल्ली, 28 जून, 1991

सा.का.नि. 416.—इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम 1985 (1985 का 50) की धारा 25 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रबंध मंडल मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र संख्या एफ 5-15/91-यू. 1 डेस्क तारीख 18 अप्रैल 1991 के तहत दी गई कुलाध्यक्ष की अनुमति से निम्नलिखित परिनियम बनाते हैं। ये परिनियम पूर्वोक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित किए जाएं ।

परिनियम 26—अध्यादेश किस प्रकार बनाए जाएं ।

(1) इस परिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से सभी अध्यादेश प्रबंध मंडल द्वारा बनाए जाएंगे ।

(2) धारा 26 की उपधारा (2) के अंतर्गत बनाए गए पहले अध्यादेशों को प्रबन्ध बोर्ड द्वारा कभी भी संशोधित या निरस्त किया जा सकता है परन्तु विश्वविद्यालय के शैक्षिक कार्यकरण को प्रभावित करने वाले किसी मामले सम्बन्धी अध्यादेश को विद्वत परिषद् के परामर्श के बिना अथवा जब तक ऐसे अध्यादेशों का प्ररूप विद्वत परिषद् द्वारा प्रस्तावित न हो, कभी भी निर्मित, संशोधित या निरस्त नहीं किया जाएगा ;

प्रबंध मंडल यदि विद्वत परिषद् द्वारा प्रस्तावित किसी अध्यादेश प्रारूप में कोई भी संशोधन अनिवार्य समझता है तो वह सुझाए गए संशोधन के साथ अध्यादेश प्रारूप को विद्वत परिषद् के पास पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है । यदि विद्वत परिषद् संशोधन के सुझाव स्वीकार नहीं करती है तो प्रबंध मंडल विद्वत परिषद् के सुझावों को ध्यान में रखकर अध्यादेश को अंतिम रूप दे सकता है ।

(3) प्रबंध मंडल द्वारा बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश तत्काल प्रभावी होगा ।